20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(33)

समक्ष: न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर म0प्र0

= =

निगरानी - 5960/2018/जबलपुर /भू.रा.

रिवीजन प्र0क्र0 सन

प्रकाश सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर निवासी

वार्ड नं.7 गढ़िया मोहल्ला, सिहोरा जिला जबलपुर

--रिवीजनकर्ता/आवे0

(693)

श्री आर.एस. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर (राजस्व मंडल)
20 SEP 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरुद्ध

1. पी.आर.पाण्डे,

2. सुरेन्द्र कुमार दुबे

3. एस.के. कुशवाहा

4. विश्वेश्वर पटैल

सभी निवासी वार्ड नं.7 गढ़िया मोहल्ला तह0 सिहोरा

जिला जबलपुर

--उत्तरवादीगण/अना0

रिवीजन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

- -

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न विनय है:-

न्यायालय श्रीमान अति.कमिश्नर महोदय संभाग जबलपुर द्वारा रा.प्र.क्र.0807/अपील/2016-18 प्रकाशसिंह वि.पी.आर.पाण्डेय वगै.आदेश दिनांक 29.6.18 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों आधारों पर यह रिवीजन समयावधि के अंदर पेश की जा रही है:-

OATH COMMISSIONER शपथ आयुक्त Smt. L.D. Patel B.A. LL.B. JABALPUR

रिवीजन के तथ्य

= = = = = = = = = =

1- प्रकरण संक्षिप्त इस प्रकार है कि रिवीजनकर्ता के द्वारा अपील मे लेख किया गया कि नगरपालिका सिहोरा वार्ड नं.7 गढ़िया मोहल्ला मे लगभग 150 वर्ष पूर्व से हनुमानजी मंदिर एवं कुंआ बना है। उक्त मंदिर एवं कुंआ मे जाने का रास्ता पहले खेत की मेड से गुजरता था लेकिन 1917 मे मोहल्ले के काश्तकार मृता बेवा बिहारी एवं बुधिया बेवा फत्तह सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–जबलपुर/भू.रा./2018/ 5960

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 807/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–6–18 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 29–6–18 पारित करके आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की है :– **खसरा नं. 136 की सरकारी भूमि से आने जाने का रास्ता है जो मौके पर कंकीट का रास्ता है जिसका उपयोग उत्तरवादीगण करते हैं। उक्त रास्तो पर अपीलार्थी व्दारा दीवाल खड़ी कर दी गई है जिससे रास्ता अवरूद्व हो गया है। जिसे हटाये जाने के आदेश तहसीलदार सिहोरा व्दारा दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा उक्त आदेश को स्थिर रखते हुये शासकीय भूमि मद रास्ता में किये गये निर्माण को हटाये जाने का आदेश पारित किये जाने में विधि संबंधी कोई त्रृटि नहीं की गई है।** उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 29–6–18 से अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के आदेश दिनांक 31–3–17 को तथा तहसीलदार सिहोरा के आदेश दिनांक 31–12–15 को यथावत् रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में विचार का औचित्य नहीं है। 3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी में सुनवाई के पर्याप्त आधार नहीं होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	